

18/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त अनुपस्थित।
अपीलान्त स्वयं भी उपस्थित नहीं। वकील रैस्पोंडेंट
एवं राजकीय कार्यवाही उपस्थित। न्यायालय
समक्ष तक इंतजार किया गया। अपीलान्त पकड़े
कोई उपस्थित नहीं हुआ। मामला बहुत जल्दी
ले कर दायरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली पेश करने के बाद तबकील दायरी
कम हो, बाद तबकील दायरी दफ्तार हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

18/7/19

18/7/19